

प्रमाण

पत्रांक- 1267

हाजीपुर / दिनांक- 17-6-2021

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

विषय -

संबंधित
श्री राजन कुमार
शीर्ष M.M.G.S-4(S.C.) अनुसूचित R.E.D पथ मोहम्मदाबाद से
मोहम्मदाबाद साई टांली पथ का पंचवीस अनुस्क्षण नहीं करने के संबंध में।

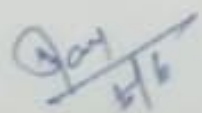
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि पथ के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा पथ का पंचवीस रूटीन अनुस्क्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। पथ में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं।

1. Grass cutting required
2. Shoulder Repair required
3. C.D not clean
4. White washing on parapet required.
- 5.

आपको निर्देश दिया जाता है पथ का पंचवीस रूटीन अनुस्क्षण का कार्य नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से डिभार की अनुज्ञप्ति की जा रही है। यदि एक सप्ताह के अन्दर पथ का रूटीन अनुस्क्षण का कार्य नहीं किया गया तो एकराशनामा के सुसंगत कडिका के आलोक में एकराशनामा विच्छेदित करते हुए निस्सन को काली सूची में दर्ज करने की अनुज्ञप्ति की जायेगी।

विश्वासभाजन

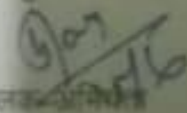


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

पत्रांक- 1267

/ दिनांक- 17-6-2021

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/ मुख्य अभियंता - 3,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।